<u>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में प्रथम अपीलीय अधिकारी दिलीप अग्रवाल, अपर कलेक्टर दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा</u>

अपील प्रकरण क्रमांक — 04/2017
श्री सुभाष कुमार यादव
कैलाश नगर वार्ड क्रमांक 11 दन्तेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ....अपीलार्थी
विरूद्ध
जन सूचना अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ....रिस्पाडेंट

—आदेश—
(पारित दिनांक 29-04-2017)

- श्री सुभाष कुमार यादव कैलाश नगर वार्ड क्रमांक 11 दन्तेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा छ0ग0 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् प्रथम अपील समक्ष में उपस्थित होकर दिनांक 12-04-2017 को प्रस्तुत किया गया।
- अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील शुल्क की राशि 50.00 रू0 नगद में सी.जी.टी.सी. रसीद क्रमांक 07/208954 के द्वारा जमा किया गया। प्रथम अपील के साथ अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा को प्रस्तुत आवेदन पत्र 10-03-2017, जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त कार्यालयीन निरंतरता आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया।
- अपीलार्थी ने अपील में लेख किया है कि उन्होंने दिनांक 10-03-2017 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत दंतेवाड़ा को एक आवेदन पत्र प्रेषित कर तीन बिन्दुओं में जानकारी चाही थी। जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत दंतेवाड़ा द्वारा बिन्दु क्रमांक 01 के अन्तर्गत कार्यालयीन निरंतरता आदेश क्रमांक 604/25-05-2015 की प्रतिलिपि मात्र उपलब्ध कराई गई है जो कि उन्होंने नहीं मांगी है। इसी प्रकार बिन्दु क्रमांक 02 एवं 03 से संबंधित कोई भी जानकारी/सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण प्रथम अपील प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा समस्त सूचना निःशुल्क दिलवाए जाने की प्रार्थना प्रथम अपील में की गई है।
- अपीलार्थी द्वारा जन सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। आवेदन पत्र के अनुसार उसने निम्नांकित तीन बिन्दुओं से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध जन सूचना अधिकारी से किया था :-

  1- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत श्री संजय शर्मा सलाहकार तथा श्री नेमूराम यादव खण्ड समन्वयक कटेकल्याण से संबंधित वर्ष 2014 से आज दिनांक तक के कार्यालयीन निरंतरता आदेश की छाया प्रति ।
  2- श्री संजय शर्मा तथा श्री नेमूराम यादव के रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण पत्र, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों की छाया प्रति।
  3- उक्त कर्मचारियों को दिनांक 25-05-2015 से 09-03-2017 तक दिए गए वेतन से संबंधित नोट शीट की छाया प्रति।
- जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत दंतेवाड़ा को सूचना पत्र क्रमांक/2042/दि0 12-04-2017 प्रेषित कर पक्ष समर्थन में जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत करने दिनांक 21-04-2017 को उपस्थित होने सूचित किया गया।
- प्रकरण की प्रथम सुनवाई तिथि दिनांक 21-04-2017 को अपीलार्थी श्री सुभाष यादव उपस्थित हुए किन्तु जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत दंतेवाड़ा की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। उनके कार्यालय से दूरभाष पर जानकारी दी गई कि शासकीय प्रवास पर होने के कारण सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं।
- प्रकरण में जन सूचना अधिकारी का पक्ष सुनने के लिए द्वितीय सुनवाई की तिथि दिनांक 28-04-2017 निर्धारित कर पुनः सूचना पत्र क्रमांक/2172/दिनांक 22-04-2017 प्रेषित किया गया। प्रकरण की द्वितीय सुनवाई दिनांक 28-04-2017 को अपीलार्थी तथा जन सूचना अधिकारी की ओर से सहायक जन सूचना अधिकारी श्री डी0आर0नागे (ए0पी0ओ0) तथा स्वच्छता मिशन के जिला परियोजना समन्वयक श्री देवेन्द्र झाड़ी ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने एक दिवस का समय दिए जाने का अनुरोध किया गया। अपीलार्थी द्वारा भी समय प्रदान करने के लिए अपनी सहमती व्यक्त की गई। प्रकरण तीसरी सुनवाई के लिए दिनांक 29-04-2017 को नियत किया गया।
- प्रकरण की तृतीय सुनवाई तिथि दिनांक 29-04-2017 को सहायक जन सूचना अधिकारी श्री डी0आर0नागे तथा स्वच्छता मिशन के जिला परियोजना समन्वयक श्री देवेन्द्र झाड़ी ने उपस्थित होकर पक्ष समर्थन में जवाब तथा दस्तावेजों की छायाप्रतियां 2-2 प्रतियों (एक प्रति प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा एक प्रति अपीलार्थी के लिए) प्रस्तुत की गई।

• जन सूचना अधिकारी की ओर से निम्नानुसार बिन्दुवार जवाब / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया :–

1– अपीलार्थी के प्रथम बिन्दु के जवाब में लेख किया गया है कि श्री संजय शर्मा तथा श्री नेमूराम यादव को नॉलेजलिंक संस्था / सुनिसेफ सपोर्ट द्वारा दन्तेवाड़ा जिला में शौचमुक्त गांव बनाने हेतु रखा गया है। इसलिए वर्ष 2014 से आज दिनांक तक कार्यालयीन निरंतरता आदेश नहीं दिया गया है। इस संबंध में नॉलेज लिंक प्रायवेट लिमिटेड द्वारा जारी Employment Contrect की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई है।

2– अपीलार्थी के द्वितीय बिन्दु के संबंध में लेख किया गया है कि श्री संजय शर्मा एवं श्री नेमूराम यादव की नियुक्ति नॉलेजलिंक संस्था दिल्ली / यूनिसेफ के द्वारा की गई है तथा उक्त संस्था में ही श्री शर्मा एवं यादव से संबंधित दस्तावेज जमा हैं । इसलिए इस कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि दिया जाना संभव नहीं है।

3– अपीलार्थी के तीसरे बिन्दु के संबंध में जवाब प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान में श्री नेमूराम यादव द्वारा ही जिला दन्तेवाड़ा में स्वच्छता कार्य की सेवा प्रदान की जा रही है। नियंत्रण अधिकारी कलेक्टर एवं अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) होने के कारण, श्री यादव का मानदेय नोट सीट के आधार पर ही यूनिसेफ फण्ड से भुगतान किया जा रहा है। नोटशीट तथा खाते में मानदेय जमा करने से संबंधित पत्रों की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई है।

• प्रकरण की तृतीय सुनवाई तिथि दिनांक 29–04–2017 को, जनसूचना अधिकारी द्वारा पत्र कमांक / 409 / 29–04–2017 के माध्यम से प्रस्तुत जवाब की पृष्ठांकित प्रति (अपीलार्थी के नाम से सम्बोधित) व संलग्न दस्तावेजों की एक–एक छाया प्रति अपीलार्थी को प्रदाय कर प्रकरण में पावती अभिस्वीकृति ली गई। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष न होने के कारण नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दन्तेवाड़ा

पृ0क0 /2506/ सू0अ0 / अपील / 2017 दन्तेवाड़ा दिनांक 02–05–2017

प्रतिलिपि :–

1– मुख्य कार्यपालन अधिकारी / जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

2– श्री सुभाष यादव, कैलाश नगर वार्ड कमांक 11 दन्तेवाड़ा छ0ग0 की ओर सूचनार्थ लेख है कि इस आदेश के विरूद्ध यदि आप चाहें तो निम्नलिखित पते पर, 90 दिवस के भीतर द्वितीय अपील कर सकते हैं।

3– डी0आई0ओ0,एन0आई0सी0 केन्द्र जिला कार्यालय दंतेवाड़ा की ओर वेब साईट में अपलोड करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पता:–

मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड शंकर नगर रायपुर (छ0ग0)

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दन्तेवाड़ा